

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार परिक्षेत्राधीन बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया अंतर्गत एकरारनामा सं०-02SBD/2025-26 दिनांक-19.04.2025 (एजेण्डा सं०-220/468/2025) के तहत "Restoration of damaged stretches of AE work done in 2023 in the village Jhalludas & Gyanidas Tola" से संबंधित कटाव निरोधक कार्य का एकरारनामा संवेदक जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, प्रो०-जय प्रकाश साह, ग्राम-रघुनाथपुर भीमनगर, वीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार पिन कोड-854348 द्वारा सम्पादित किया गया।

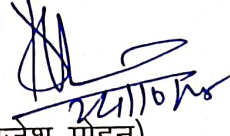
कार्यारंभ के पश्चात् कार्य की प्रगति लगातार धीमी रहने, विभागीय पदाधिकारियों से प्राप्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने एवं एकरारनामा के उपरांत कार्य को ससमय पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लेने के कारण कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, नवगछिया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में संवेदक से कारण पृच्छा की मांग की गयी। संवेदक को स्मारित करने के बावजूद भी उनके द्वारा कारण पृच्छा प्रत्युत्तर समर्पित नहीं किया गया। संवेदक से प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गयी, समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार से प्राप्त मंतव्य के आलोक में विभागीय आदेश सं०-2920 दिनांक-27.06.2025 द्वारा संवेदक श्री जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि० को अगली निविदा में भाग लेने के लिए वंचित/डिबार किया गया।

उक्त डिबार आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। संवेदक से प्राप्त अपील अभ्यावेदन में संवेदक द्वारा उल्लेखित किया गया है कि बोल्टर क्रेटिंग का कार्य गुणवत्ता एवं विशिष्टी के अनुरूप किया गया है जिसके Void की जाँच गुण नियंत्रण प्रमंडल द्वारा किया गया है जिसका प्रतिवेदन प्रमंडल कार्यालय में दिया गया है। इस प्रतिवेदन को मानक के अनुरूप पाया गया है और विभागीय अभियंताओं की देख रेख में उनके निदेशानुसार कार्य कराया गया है।

कार्य स्थल पर सभी कार्य प्राकलन की विशिष्टी के अनुरूप किया गया है जिसकी निगरानी क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा लगातार की जाती रही है। जाँच दल द्वारा भी सभी कार्य मानक के अनुरूप पाया गया है। अत्यधिक श्रमबल एवं मशीनरी के बावजूद भी कार्य के निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं होने के कारण बोल्टर की आपूर्ति का वाधित होना है। बोल्टर के खदानों में पानी भर जाने के कारण बोल्टर की आपूर्ति धीमी हो गयी थी, जिसके कारण कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा। साथ ही जी०आई० क्रेट एवं जी०टी० फिल्टर की भी उपलब्धता कम हो गयी थी और इनकी कमी से भी कार्य की प्रगति प्रभावित हुयी। काफी प्रयास के बाद कार्य को दिनांक-22.06.2025 को पूर्ण करा लिया गया।

संवेदक से प्राप्त अपील अभ्यावेदन पर दिनांक-24.10.2025 को सुनवाई की गयी, जिसमें संवेदक द्वारा उल्लेखित तथ्यों एवं मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, कटिहार एवं अधीक्षण अभियंता, बाढ़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत संवेदक जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, जिला-सुपौल को डिबार आदेश से मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, जिला-सुपौल को विभागीय आदेश सं०-2920 दिनांक-27.06.2025 द्वारा किये गये डिबार आदेश से मुक्त किया जाता है।


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक : 6045 पटना/दिनांक : 24.10.2025

प्रतिलिपि:- जय प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर्स प्रा०लि०, प्रो०-जय प्रकाश साह, ग्राम-रघुनाथपुर भीमनगर, वीरपुर, जिला-सुपौल, बिहार पिन कोड-854348 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक : 6045 /पटना, दिनांक : 24.10.2025

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो० एवं मो०, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो०, अंचल -2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, प्रभारी आई०टी० सेंटर, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।